भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3431

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बंधपत्र के आधार पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं जारी रखना

†3431. डॉ. धर्मवीर गांधीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में बंधपत्र आधार पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों के त्यागपत्र के बाद रिक्त पदों को भरने और उनकी सेवाएं जारी रखना सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार की कोई नीति है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): राज्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भर्ती और इस्तीफे के संबंध में संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की अपनी-अपनी नीतियां हैं। तथापि, केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए, संघ लोक सेवा आयोग साक्षात्कार आयोजित करता है और आयोग की सिफारिश के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं। केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत, छत्तीस महीने के अध्ययन अवकाश का लाभ उठाने वाले डॉक्टरों को छुट्टी की समाप्ति के बाद पांच साल की अवधि के लिए सरकार की सेवा करने के लिए एक बंध पत्र (बॉन्ड) निष्पादित करना होता है। यह बंध पत्र (बॉन्ड) अवधि के दौरान विशेषज्ञ डॉक्टरों को बनाए रखने में मदद करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों को बनाए रखने के लिए कई प्रोत्साहन दिए गए हैं जैसे कि दो साल के बजाय तीन साल के लिए अध्ययन अवकाश प्राप्त करने के लिए नियमों में छूट, शामिल होने के तुरंत बाद उच्च अध्ययन के लिए ईओएल, गतिशील आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना(डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम), प्रैक्टिसबंदी भत्ता (नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ता), वार्षिक भत्ता आदि।

*****